भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2019/ 4916 दिसंबर 03, 2019

सूचना / Notice

विषय : डीएई सीएचएसएस- विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक प्रणालियों के तहत उपचार प्रदान करना।

Sub : DAE CHSS - Extension of treatment under Ayurvedic and Homeopathic systems of medicine to retired employees of the Department.

उपरोक्त विषय पर पऊवि के दिनांक 21.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/2019/IR&W/14337 की एक प्रति संलग्न है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/2/2019/IR&W/14337 dtd.21.11.2019 on the above subject, is enclosed.

इस केंद्र के सभी कार्मिक उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचनार्थ हेतु कृपया नोट करें।

All the employees of this Centre may please keep note of the content of the Office Memorandum for their information.

अशोक कुमार पात्रा
(ए. के. पात्रा / A. K. Pattra)
सहायक कार्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer
4.12.2019

सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards :

(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476
& 2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

No.7/2/2019-IR&W/14337 **November** 21**, 2019**

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय: डीएई सीएचएसएस - विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक प्रणालियों के तहत उपचार प्रदान करना।

Sub: DAE CHSS – Extension of treatment under Ayurvedic and homeopathic systems of medicine to retired employees of the Department.

****

Uv-eM 22.11.19

इस विभाग के सीएचएसएस के तहत आयुर्वेदिक व होमियोपैथिक प्रणाली के अधीन चिकित्सा देख-रेख और उपचार दिनांक 01/10/1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22/1/80-सीएचएसएस/एसएसएस/वैल्यू.-III के तहत शुरू किया गया। हालांकि, यह सुविधा केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए सीमित थी क्योंकि आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक प्रणालियों के तहत उपचार के लिए प्रतिपूर्ति सी.एस.(एमए) नियमावली, 1944 के तहत की जा रही है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है। इस विषय पर पऊवि के क्रमश: दिनांक 5/8/2005 और 19/12/2012 के आई.डी.नोट सं. 7/27/99-सीएचएसएस/ आईआरडब्ल्यू/ 5664 और 7/32/2012/आईआरएण्डडब्ल्यू/389 के द्वारा यूनिटों को अलग-अलग स्पष्टीकरण दिया गया है।

Medical attention and treatment under Ayurvedic and Homeopathic systems of medicines under the CHSS of the Department was introduced vide OM No. 22/1/80-CHSS/SSS/Vol.III dated October 1, 1985. This facility, however, was restricted to only serving employees as the reimbursement towards treatment under Ayurvedic and Homeopathic systems is being made as per C.S. (MA) Rules, 1944, which is not applicable for retired employees. This aspect has been clarified to units individually vide DAE ID Note nos. 7/27/99-CHSS/IR&W/5664 and 7/32/2012/IR&W/389 dated 5.8.2005 and 19.12.2012 respectively.

2. इस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक प्रणालियों के तहत उपचार प्रदान करने के लिए विभाग में बार-बार संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस विषय की एक बार फिर जांच की गई और सीएचएसएस समीक्षा समिति को पुन: जांच और सिफारिश के लिए भेजा गया। समीक्षा के बाद, इस समिति ने सेवारत कर्मचारियों की तर्ज पर विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक प्रणालियों के तहत चिकित्सा उपचार प्रदान करने की सिफारिश की है।

....2/-

References are being received in the Department time and again to extend the treatment under Ayurvedic and Homeopathic systems of medicines to retired employees of the Department. The matter was once again examined and also referred to the CHSS Review Committee for re-examination and recommendation. After review, the Committee has recommended to extend the facility of availing medical treatment under Ayurvedic and Homeopathic systems of medicine to retired employees of the Department also on line with what is being provided to serving employees.

3. दिनांक 1.10.1985 के उपर्युक्त का.ज्ञा. में दी गई अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।
The other terms and conditions of the said above OM dated 1.10.1985 will remain unchanged.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक अधिकारी
All CHSS Administering Authorities.